JALAUN POLICE

दिनांक – 19.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 07 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्तगण **1.** रिंकू उर्फ तब्बल पुत्र शिवशंकर गोस्वामी नि0 ग्राम जखौरा थाना मटौंध जनपद बांदा **2.** नमो नारायण पुत्र स्व0 श्री सत्यदेव तिवारी नि0 जेपी रोड पचखुरा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के द्वारा कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत की गयी घटनाओं के सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 637/20 धारा 328/394/411 भादवि व मु0अ0सं0 649/2020 धारा 307 भादवि व 12/14 यूपीडीए एक्ट व मु0अ0सं0 650/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट(नमो नारायण) व मु0अ0सं0 809/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (रिंकू उर्फ तब्बल) के तहत अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिनकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रिंकू उर्फ तब्बल 2. नमो नारायण उपरोक्त को धारा 307/328/394/411 भादवि व 12/14 यूपीडीए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 04 वर्ष 10 माह का कारावास एवं 30,000-30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय– अभियुक्त सोनू पुत्र कमल सिंह नि0 भेड़ी टाडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कदौरा क्षेत्रान्तर्गत की गयी घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0सं0 217/19 धारा 457/394/411 भादवि व मु0अ0सं0 226/19 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 232/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिनकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त सोनू उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त को धारा 307/457/394 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुये 05 वर्ष 08 माह का कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।